तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज विश्वेश्वर नाडोला बनाम लो.सू.अ.(अपर जिला कलक्टर जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 27 / 2021	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.03.21	अपीलार्थी विश्वेश्वर नाडोला, पता माली थलियों का बास, होटल सिटी पेलेसे के पीछे, नई सड़क जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 31.12.20 में उसके द्वारा (1) मारवाड़ मुस्लिम एजूकेशनल सोसायटी जोधपुर को कलक्टर कार्यालय द्वारा भूमि निरस्त करने का जारी पत्र दिनांक 11.03.2004 व श्रीमान् तहसीलदार साहब को दिये गये आदेश दिनांक 11.03.2004 का पत्र संलग्न कर निवेदन है कि मारवाड़ मुस्लिम एजूकेशनल सोसायटी को मौजा बूझावड़, लूणी के खसरा नं. 36 व 38 में लीजडीड आवेदन करने से लीजडीड जारी करने तक की पत्रावली की प्रतिलिपि कार्यालय टिप्पणी की प्रतिं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 330 दिनांक 24.02.2021 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमे बतलाया कि प्रार्थी के आवेदन पत्र में वर्णित सूचना प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कार्यालय हाजा से संबंधित होने के फलस्वरूप प्रार्थी के आवेदन पत्र की छाया प्रति सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(4) के तहत कार्यालय पत्रांक 39 दिनांक 05.01.2020 द्वारा प्रेषित कर सात दिवस में इस कार्यालय को भिजवाने हेतु लिखा गया था, परन्तु प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना राजस्व अनुभाग से अभी तक अपेक्षित होने से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। चूंकि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा कार्यालय हाजा को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित सूचना अपीलार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	